राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 9, सोमवार, शाके 1931–मार्च 30, 2009
Chaitra 9, Monday, Saka 1931–March 30, 2009

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2009

एस.ओ. 388:–राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि 1 अप्रेल, 2009 से नीचे दी गई अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस की दरें, लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण और प्रबंध की अधीन की सड़कों पर पड़ने वाले पहुंच मार्गों, उपमार्गों को सम्मिलित करते हुए ऐसे सभी स्थाई पुलों का, पहुंच मार्गों को सम्मिलित करते हुए सुरंगों और सड़क के ऐसे किसी भी अनुभाग का, जो विकसित, सनिर्मित, पुनःसंनिर्मित, उन्नत या मरम्मत, सुदृढ़ीकृत, चौडा किया गया हो, और जो राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या निकाय या संगम या व्यष्टि संगम चाहे निगमित हो या नहीं के व्यय पर या दोनों, अर्थात् राज्य सरकार या अन्य ऐसा व्यक्ति या निकाय या संगम के व्यय पर निर्मित किये गये हैं, उपयोग कर रहे यानों के प्रभारी उन सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उदगृहीत की जायेंगी और प्रभार्य होंगी, अर्थात् :–

1. फीस ऐसी सुविधाओं/परियोजनाओं पर, जो राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात् संनिर्मित या विकसित की जायेंगी उदगृहीत की जायेगी।
2. ऐसे सभी स्थाई पुल, जिसके निर्माण की लागत 50 लाख रु. से अधिक नहीं हो और पहुंच मार्ग को सम्मिलित करते हुए ऐसे सभी उपमार्गों, सुरंगों और सड़क का कोई भी अनुभाग, जो संनिर्मित,

पुनःसंनिर्मित, उन्नत या मरम्मत, किया गया हो, जिसके निर्माण की लागत 75 लाख रु. से अधिक नहीं हो, फीस उद्ग्रहण से छूट प्राप्त होंगे।

3. राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थानीय निकाय से किसी सड़क या उसके अनुभाग के विकास के संबंध में करार कर सकेगी। ऐसा व्यक्ति या कोई भी स्थानीय निकाय, जिसके साथ करार किया गया है, अनुसूची के अनुसार उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण फीस या उसका ऐसा भाग और, सड़क के विकास और फीस के संग्रहण में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिधान पर युक्तियुक्त प्रत्यागम और यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कालावधि के लिए संग्रहित करने या रखे रखने का हकदार होगा, जो करार पायी जाये।

4. यान द्वारा सन्निर्माण सुविधा से एक से अधिक बार गुजरने की दशा में अर्थात् आने जाने को फीस के प्रभार के लिए ऐसी यात्रा को एक इकाई समझा जायेगा, जिसके लिए उपयोक्ता के पास डेढ़ गुणा फीस संदत्त करने का विकल्प होगा। यह विकल्प उसी दिन की गई यात्राओं तक सीमित होगा।

5. सभी यानों के लिए सुविधा/सन्निमार्ण का उपयोग करने के लिए अनुसूची में उल्लिखित एक बार की फीस का 30 गुना संदाय करके मासिक पास प्राप्त किये जा सकेंगे।

6. यदि किसी सड़क पर किसी 30 किमी की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक पुल या सुरंगें हों और किसी सड़क पर 50 किमी की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक उपमार्ग हों या सड़क का ऐसा कोई अनुभाग, जो संनिर्मित या पुनःसंनिर्मित, उन्नत किया गया हो या उसकी मरम्मत की गई हो तो एक से अधिक सुविधा पर कोई भी फीस संदेय नहीं होगी।

7. रक्षा विभाग के यानों, पुलिस विभाग के यानों, अग्निशमन यानों, एम्बुलेंसों, अन्त्येष्टि वेनों, डाक–तार विभाग के यानों, केन्द्र और राज्य सरकार के यानों, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों के यानों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के यानों, लोकायुक्त के यानों, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों, संसद और विधान सभा के आसीन सदस्यों के हल्के निजी यानों और प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों को फीस के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त होगी।

8. भागतः आनुपातिक फीस का, करार के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सड़क लम्बाई का 50 प्रतिशत से अधिक का संनिर्माण होने के पश्चात् ही, उद्ग्रहण अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि कम से कम 50 किमी लंबी सड़क संनिर्मित हो गई हो।

अनुसूची

(फीस की दर)

क्र. सं	यानों का प्रवर्ग	ऐसे पुलों, सुरंगों और उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी तक है, प्रति दौरा प्रति यान फीस दर (रु. में)	उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी से अधिक है स्तंभ 3 में कथित दरों के पश्चात् संदेय प्रति दौरा/किमी फीस की दरें। प्रथम 20 किमी तक के लिए स्तंभ 3 की नियत दरें (प्रति किमी रु.) लागू होंगी।
1	2	3	4
1.	(क) अकृषिक उपज ले जा रहे ट्रेक्टर मय ट्रोलियों के (कृषि उपज ले जा रही और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रेक्टर ट्रोलियों द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा)।	5.08	0.13
	(ख) टेम्पों, कारें, टैक्सियां, प्राइवेट कारें, जीपें	16.94	0.42

1	2	3	4.
2.	मोटर लारियां, बसें मिनी–बसें और अन्य भारी मशीनरी जैसे मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	42.35	1.09
3.	(क) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पांच) टन तक हो	57.60	1.42
	(ख) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पांच) टन से अधिक हो	86.39	2.16
4.	मल्टी–एक्सल ट्रक / ट्रेलर	142.30	3.58

टिप्पणी :–

1. यह लेडन सहित और लेडन रहित ट्रकों पर प्रभारित किया जायेगा।
2. ऊपर सारणी में उल्लिखित फीस की दरें 5 रु. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कर नियत की जायेंगी।
3. ऊपर उल्लिखित दरें 1 अप्रेल, 2009 से लागू होंगी। अगला पुनरीक्षण 10 प्रतिशत वृद्धि की दर से 1 अप्रेल, 2011 से शोध्य होगा।
4. यह केवल राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के अधीन किये गये परियोजना करारों के लिए लागू होगा।
5. राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के पूर्व किये गये परियोजना करारों के लिए फीस की दर करार के सुसंगत खण्डों के अनुसार आपसी सहमति से पुनरीक्षित की जा सकेगी।

[संख्या प.8(50)सानि / 2001 / पार्ट–1 / 312]

राज्यपाल के आदेश से,

सागर मल मीणा,

शासन उप सचिव।